

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र / 2 / 2011

जयपुर, दिनांक 19.4.2011

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	26 / 2001	श्री हनुमान सहाय शेरसेया सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।	गा/55 गांधीनगर (गा/36 गांधीनगर के स्थान पर)	31.10. 2018
2.	104 / 07	डॉ. विष्णु कुमार अग्रवाल विकित्सा अधिकारी, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर	19/गा/ए बहुमंजिला आवास गांधीनगर	30.11. 2033
3.	135 / 08	श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर एफ. 927, गांधीनगर	गा/101 गांधीनगर	31.1.2017
4.	155 / 08	श्री पुष्पेन्द्र कुमार भट्ट निजी सहायक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तकता मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर 4 th / 49, गांधीनगर	ई-920 गांधीनगर	30.9.2018
5.	25 / 2011	डॉ अंजू शर्मा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत 'जे', जयपुर	ए-19 जवाहरनगर	31.7.2031
6.	26 / 2011	श्री राजेन्द्र कुमार औझा उप अधीक्षक, ए.टी.एस. घाटगेट, जयपुर	ए-88 जवाहरनगर	30.4.2017
7.	30 / 2011	श्री जी. पी. गुप्ता उद्योग प्रसार अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर, जयपुर एफ-709, गांधीनगर	ए-99 जवाहरनगर	31.5.2018

शर्तों :—

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- खर्च तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनज्ञे हो तो रोक दिया जायेगा।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा काई संख्या/पत्ति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -2 पर अंकित डॉ० विष्णु कुमार अग्रवाल से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चास मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सतर्कता मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
11. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस., जयपुर।
13. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विविभाग लि० गॉधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चाप्ता करावें।
17. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. संबंधित अधिकारीगण।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव